न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 03/2020/प्रार्थना पत्र/बउनवान/भंवरलाल बनाम घनश्याम वगै0
जीसीएमएस संख्या 2020/00017

1. भंवरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रामगोपाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारा (राज0)
3. रामसियां बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राााबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र केशरीलाल जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. प्रेमबाई पत्नि घनश्याम जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील अप्रार्थीगण : एकपक्षीय
दायरा दिनांकः 14.02.2020 **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल में खाता संख्या 63 खसरा नं0 11 रकबा 0.46 हे0, खसरा नं0 124 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 136 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 17 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 18 रकबा 0.24 हे0, खसरा नं0 19 रकबा 1.13 हे0, खसरा नं0 21 रकबा 0.36 हे0, खसरा नं0 99/456 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.42 हे0 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वर्तमान खसरा नं0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 साबिक खसरा नं0 2/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 1 मिन रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 94 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 95 मिन रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 96 मिन रकबा 2 बीघा, खसरा नं0 40/1 रकबा 2 बीघा, खसरा नं0 41 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 7 मिन रकबा 6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा से कायम किये गये है।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

3. यह कि इस प्रकार पुराने रकबे 25 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले वर्तमान खाते में रकबा 3.42 हे0 दर्ज कर खाते में रकबा 0.72 हे0 भूमि प्रार्थीगण के खाते में कम दर्ज कर दी गई है।
4. यह कि मौके पर प्रार्थीगण आज भी अपने खाते की सम्पूर्ण भूमि 25 बीघा 16 बिस्वा पर निरन्तर काबिज काश्त है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज रकबा 0.72 हे0 भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है।
5. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने बनावटी दस्तावेजो के आधार पर बिना कब्जा काश्त के खसरा नं0 399, 400, 13, 14 रकबा 0.52 हे0 आवंटन करवा ली है और अब प्रार्थी परिवार की खाता भूमि के हिस्से पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का प्रार्थी परिवार की खाता भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी परिवार आज भी हमेंशा से जिस भूमि पर काबिज काश्त रहा है उसी पर ही आज भी काबिज काश्त है और प्रार्थी परिवार की रिकार्ड में कम की गई भूमि रकबा 0.72 हे0 को प्रार्थीगण पुनः रकबा शामिल करवाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है।
6. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अपने मंसुबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी परिवार को अपनी पुश्तैनी व पैतृक आराजी के हिस्से वर्तमान रिकार्ड में कम दर्ज भूमि रकबा 0.72 हे0 से हमेंशा हमेंशा के लिए महरूम होना पडेगा इस कारण प्रार्थीगण स्वयं को वर्तमान रिकार्ड में कम दर्ज 0.72 हे0 पर खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है।
7. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को यह अधिकार रही है कि यह प्रार्थीगण के खाते में दर्ज रही आराजी पर किसी प्रकार का अधिकार करें अप्रार्थी क्रम 1 व 2 गलत आवंटन के आधार पर प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त व खाते की आराजी से बेदखल करने पर आमदा है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से अप्रार्थीगण के विरुद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें जिसके प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।
8. यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित है क्योकि प्रार्थीगण अपने खाते व कब्जे काष्त की पैतृक आराजी मुताबिक साबिक खाता संख्या 17 व 18 में दर्ज क्रमश 18 बीघा व 7 बीघा 16 बिस्वा पर सौ वर्षो से अधिक समय से निरन्तर काबिज काश्त है जिसका रकबा वर्तमान सेटलमेंट में गलत तरीके से 0.72 हे0 कम दर्ज किया है जिसको रकबा दुरुस्त करवाने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।
9. यह कि सुविधा का संतुलन भी पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि मौके पर आज भी पूर्व के अनुसार प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है व काश्त कर रहे है तथा साबिक रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा पर ही काश्त कर रहे है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है।
10. यह कि अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण की अधिक है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काष्त की आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये जो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकार की आराजी से महरूम होना पडेगा तथा प्रार्थीगण का वाद करना बेकार हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अन्य मुकदमों बाजी में उलझना होना जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।
11. यह कि प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित अन्य सुसंगत तथ्य दोराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम हिगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 में स्थित आराजी खाता संख्या 63 खसरा नं0 11 रकबा 0.46 हे0, खसरा नं0 124 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 136 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 17 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 18 रकबा 0.24 हे0, खसरा नं0 19 रकबा 1.13 हे0, खसरा नं0 21 रकबा 0.36 हे0, खसरा नं0 99/456 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.42 हे0 में सेटलमेंट पूर्व रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले कम की आराजी रकबा 0.72 हे0 की कमी की है उसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करें प्रार्थीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम हिगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 में स्थित आराजी खाता संख्या 63 खसरा नं0 11 रकबा 0.46 हे0, खसरा नं0 124 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 136 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 17 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 18 रकबा 0.24 हे0, खसरा नं0 19 रकबा 1.13 हे0, खसरा नं0 21 रकबा 0.36 हे0, खसरा नं0 99/456 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.42 हे0 में सेटलमेंट पूर्व रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले कम की आराजी रकबा 0.72 हे0 की कमी की है उसमें दखलअंदाजी नही करने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वकील प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने बनावटी दस्तावेजो के आधार पर बिना कब्जा काश्त के खसरा नं0 399, 400, 13, 14 रकबा 0.52 हे0 आवंटन करवा ली है और अब प्रार्थी परिवार की खाता भूमि के हिस्से पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई समुचित साक्ष्य प्रार्थना पत्र के पक्ष में प्रस्तुत नही किये है जिससे यह तथ्य सिद्ध होता हो। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में अप्रार्थी घनश्याम व प्रेमबाई खसरा नं. 13, 14 कुल रकबा 0.20 हे0 वाके ग्राम हिंगोनिया में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध समुचित साक्ष्य के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध समूचित साक्ष्य के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार है, के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है। प्रार्थीगण के हक अधिकार वादपत्र की सुनवाई एवं निर्णय में निर्धारित किये जायेगें। ऐसी स्थिती में अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील एकपक्षीय, राजस्व रिकोर्ड के आधार पर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Page 4 of 4